न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 03/2023

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री बशीर खान पुत्र श्री अकबर खान जाति मुसलमान निवासी जैन मन्दिर के पीछे मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 02.08.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.2022 को मुखबिर से मिली सूचना पर जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा अर्बुदा औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड के एक परिसर में कुल 184 गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया जाने उक्त सभी 184 गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 23.12.2022 को मुखबिर से मिली सूचना पर जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व कारोबार करने तथा घरेलू गैस सिलेण्डरों से अन्य गैस सिलेण्डरों में गैस भरने की सूचना पर जांच हेतु अर्बुदा औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड के एक परिसर में पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर अर्बुदा औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड में स्थित एक परिसर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर अप्रार्थी श्री बशीर खान उपस्थित मिले, जिन्होने उक्त परिसर में गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करना स्वीकार किया। उक्त परिसर में रूबरू मौतबिरान श्री विरेन्द्र सोनगरा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जीनगर निवासी आबूरोड हाल मैनेजर सिरोही इण्डेन गैस सर्विस आबूरोड जिला सिरोही के समक्ष निरीक्षण एवं जांच करने पर कुल 184 गैस सिलेण्डर पाए गए, जिसमें से भारत गैस के 47.5 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 20 गैस सिलेण्डर कुल गैस 938.6 कि.ग्रा., भारतगैस के 19 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 82 गैस सिलेण्डर कुल गैस 28.67 कि.ग्रा., भारतगैस के 5 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 01 गैस सिलेण्डर, इण्डेन गैस के 19 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 53 गैस सिलेण्डर कुल गैस 16.59 कि.ग्रा., इण्डेन गैस के 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू 11 गैस सिलेण्डर कुल गैस 155.20 कि.ग्रा., इण्डेन गैस के 5 कि.ग्रा. के घरेलू 01 गैस सिलेण्डर कुल गैस 1.40 कि.ग्रा., एच.पी. गैस के 19 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 11 गैस

Bullo
जिला कलेक्टर, सिरोही

सिलेण्डर कुल गैस 1.35 कि.ग्रा., एच.पी. गैस के 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू 05 गैस सिलेण्डर कुल गैस 2.10 कि.ग्रा. के पाए गए। इस प्रकार कुल 184 गैस सिलेण्डर विभिन्न गैस कम्पनियों के घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाए गए जिसमें कुल 1143.91 कि.ग्रा. गैस पाई गई। अप्रार्थी श्री बशीर खान से उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण सम्बन्धी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के बारे में पूछने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अतः अप्रार्थी द्वारा बडी मात्रा में घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3, 4, 6 एवं 7 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अप्रार्थी को पूर्व में जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु नियत दिनांक को भी कोई उपस्थिति नंहीं दी। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

मैने प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 23.12.2022 को मुखबिर से मिली सूचना पर जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व कारोबार करने तथा घरेलू गैस सिलेण्डरों से अन्य गैस सिलेण्डरों में गैस भरने की सूचना पर जांच हेतु अर्बुदा औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड के एक परिसर में पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर अर्बुदा औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड़ में स्थित एक परिसर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर अप्रार्थी श्री बशीर खान उपस्थित मिले, जिन्होने उक्त परिसर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना स्वीकार किया। उक्त परिसर में रूबरू मौतबिरान श्री विरेन्द्र सोनगरा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जीनगर निवासी आबूरोड हाल मैनेजर सिरोही इण्डेन गैस सर्विस आबूरोड जिला सिरोही के समक्ष निरीक्षण एवं जांच करने पर कुल 184 गैस सिलेण्डर पाए गए, जिसमें से भारत गैस के 47.5 कि. ग्रा. के वाणिज्यिक 20 गैस सिलेण्डर कुल गैस 938.6 कि.ग्रा., भारतगैस के 19 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 82 गैस सिलेण्डर कुल गैस 28.67 कि.ग्रा., भारतगैस के 5 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 01 गैस सिलेण्डर, इण्डेन गैस के 19 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 53 गैस सिलेण्डर कुल गैस 16.59 कि.ग्रा., इण्डेन गैस के 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू 11 गैस सिलेण्डर कुल गैस 155.20 कि.ग्रा., इण्डेन गैस के 5 कि.ग्रा. के घरेलू 01 गैस सिलेण्डर कुल गैस 1.40 कि.ग्रा., एच.पी. गैस के 19 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक 11 गैस सिलेण्डर कुल गैस 1.35 कि.ग्रा., एच.पी. गैस के 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू 05 गैस सिलेण्डर कुल गैस 2.10 कि.ग्रा. के पाए गए। इस प्रकार कुल 184 गैस सिलेण्डर विभिन्न गैस कम्पनियों के घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाए गए जिसमें कुल 1143.91 कि.ग्रा. गैस पाई गई। अप्रार्थी श्री बशीर खान से उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण सम्बन्धी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के बारे में पूछने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में न तो कोई उपस्थिति दी गई है एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त 184 सिलेण्डरों का एक परिसर में अवैध भण्डारण किया हुआ पाया जाना एवं भण्डारण सम्बन्धी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि नहीं होने से उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3, 4, 6 एवं 7 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये कुल 184 गैस सिलेण्डरों को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त गैस सिलेण्डरों में भरी हुई कुल 1143.91 कि.ग्रा. गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त 184 गैस सिलेण्ड़रों को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner